18/11/24

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उक्त प्रकरण में दिनांक 13/05/02 को उपखंड अधिकारी न्याय से निर्णय पारित हो चुका है तत्पश्चात पत्रावली में RAA से प्रकरण रिमांड किया गया, जिसकी अपील माननीय राजस्व मंडल में होने पर प्रकरण

(किया गया निर्णय बहाल रखा गया)

जो RAA द्वारा निर्णय दिनांक 27.6.2004

RAA द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 27.6.2004 को RAA द्वारा किया गया था, परन्तु पक्षकारान

ने प्रकरण रिमांड किया गया था। को राजीनामा पेश किया

द्वारा दिनांक

गया जिले तत्कालीन उपखंड अधिकारी द्वारा

तस्दीक की किया गया परंतु साक्ष्य प्रस्तुत

करने के निर्देश दिए गया प्रकरण में

साक्ष्य PW1 व PW2 प्रस्तुत की जा चुकी है,

जिसका नाम बकाले से ज़ाहिर होता है उनने

राजीनामा एवं साक्ष्य में सहमति प्रकट की है।

मुताबिक सहमति एवं राजीनामा वाद स्वीकार

किया जाकर निर्णय दिनांक 13/05/2002 के

मुताबिक प्राथमिक विज्ञापन पत्र पुनः जारी

किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर

शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास

पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली ~~[illegible]~~ वास्ते

विज्ञापन प्रस्ताव दिनांक 28/11/24 को पेश हो।

पुनश्च! अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ने

मुताबिक राजीनामा अंतिम डिक्री जारी करने की

प्रार्थना की, मुताबिक राजीनामा अंतिम डिक्री

...की कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

जारी की जाती है। निर्णय कर तत्काल पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली नियम अनुसार होकर नम्बर से कम हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज0)